न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 99/2024

1. बनवारी पुत्र प्रभुदयाल जाति गुरू, निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः—11.02.2025

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

उपस्थितः— श्री मौहम्मद युसुफ एडवो0 प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना—पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070—2073 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 164 में दर्ज खसरा नम्बर 214 रकबा 0.81 प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। प्रश्नगत आराजी वर्तमान में प्रार्थी के बडे पिता दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा जो अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुके है, के नाम दर्ज है। प्रार्थी स्व0 दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा के छोटे भाई प्रभुदयाल पुत्र चद्रा का पुत्र है। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के खातेदार स्व0 दुर्गालाल का एकमात्र विधिक वारिस है। वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में सहवनवश से प्रार्थी के बड़े पिता की जाति खाता संख्या 164 में **दरोगा** अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी के बडे पिता की जाति **गुरू** है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता नाम सही जाति दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा जाति **गुरू** दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।
प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना—पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी पिता का नाम पूर्व जमाबन्दी में कल्याण दर्ज था, परन्तु राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थी के बड़े पिता की जाति खाता संख्या 164 में **दरोगा** अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी के बडे पिता की जाति **गुरू** है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। अपनी बहस के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ग्रा पंचायत कैरोट का प्रमाण पत्र व खसरा गिरदावरी संलग्न पत्रावली की गई।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, मौका पर्चा, एवं मिलान क्षेत्रफल, खसरा गिरदावरी, ग्राम सचिव ग्राम पंचायत केरोट के प्रमाण—पत्र आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–2073 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के **खाता संख्या 164 में दर्ज खसरा संख्या 214** में खातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा जाति दरोगा** के स्थान पर **दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा जाति गुरू** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)